GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER: FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI-110002

No. F.3 (40)/2013/F&S/P&C/Pt.III/ 1184-88 Dated: 20-11-14

CIRCULAR

Please find enclosed herewith a gazette notified copy of rules called the Provisions of funds to State Government for short supply of foodgrains Rules, 2014 for information and future reference.

20/11/14

Udai Vir Singh)
Assistant Commissioner(P&C)

No . F.3 (32)/2005/F&S/P&C/ 1184-88. Dated: 20-11-14

Copy for information and necessary action to:

4. All Zonal Assistant Commissioners
5. All FSO through their Zonal Assistant Commissioners
6. System Analyst with request to load these instructions on the web site of Department.

Copy for information to:-

2. PS to CFS
2. PS to Spl. CFS/Addl. CFS/Jt.CFS

20/11/14

Udai Vir Singh)
Assistant Commissioner(P&C)

28

1093/S.A/II
24-11-2014

24/11/14

24/11/14 AR(O)

220/C

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2014/कार्तिक 5, 1936
No. 550] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2014/KARTIKA 5, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 743(अ).—केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श करके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 23 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्यान की कम पूर्ति के लिए राज्य सरकारों को निधियों की उपलब्धता नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है ;

(ख) "निगम" से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम अभिप्रेत है ;

(ग) "खाद्यानों की हकदार मात्रा" से अधिनियम की धारा 22 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आबंटित की जाने वाली खाद्यानों की मात्रा अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. **खाद्यानों के आबंटन के लिए समय-सीमा.**—केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें खाद्यानों के आबंटन और अधिनियम के अधीन हकदार व्यक्तियों को वितरण के लिए उनकों उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करेंगे ।

4. केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को खाद्यानों का आबंटन और पूर्ति.—केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यानों की हकदार मात्रा आबंटित की गई है और आबंटित खाद्यानों की नियमित पूर्ति प्रत्येक राज्य में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपों में पहुंचती है।

5. केंद्रीय सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराने की रीति.—यदि केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार को खाद्यानों की हकदार मात्रा की पूर्ति करने में असमर्थ है तो वह उस राज्य सरकार को उस विपणन समय पर सुसंगत खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमत के बीच के अंतर की दर से कम पूर्ति की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

6. राज्य सरकारों द्वारा आनुकल्पिक इंतजाम की दशा में उपलब्ध कराई जाने वाली निधियां.—(1) यदि केंद्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को खाद्यानों की हकदार मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो वह राज्य सरकार कम पूर्ति की सीमा तक खुले बाजार से क्रय के माध्यम से अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन हकदारियों के परिदान का इंतजाम कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन खुले बाजार से क्रय की दशा में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों को खाद्यानों की कम पूर्ति की सीमा तक—

(i) वह कीमत, जिस पर राज्य सरकार ने खाद्यानों को क्रय किया है और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर की दर से ; या

(ii) उस विपणन समय पर सुसंगत खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर की दर से,

इसमें जो भी कम हो, निधियां उपलब्ध कराएगी।

7. राज्य सरकार द्वारा निधियों का दावा करने के लिए प्रक्रिया.—नियम 5 और नियम 6 के अधीन निधियों का दावा करने के लिए राज्य सरकार, सभी विशिष्टियों सहित, केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए दावा प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :—

(i) कम पूर्ति की मात्रा ;

(ii) अभिहित डिपो, जिसमें कम पूर्ति हुई है ;

(iii) कम पूर्ति की अवधि ;

(iv) खाद्यानों की कम पूर्ति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से खाद्यानों के क्रय का सबूत ; और

(v) ऐसे अन्य आवश्यक दस्तावेज, जो दावा सिद्ध करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

8. केंद्रीय सरकार द्वारा दावों को प्रक्रियागत करना.—(1) केंद्रीय सरकार, नियम 7 के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त दावों को इसके द्वारा दावे की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निगम को भेजेगी।

(2) निगम, राज्य सरकार के दावे को प्रक्रियागत करने के पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए दावे की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपने संप्रेक्षण केंद्रीय सरकार को भेजेगी।

(3) केंद्रीय सरकार, निगम के संप्रेक्षणों की परीक्षा करने के पश्चात् निगम द्वारा किए गए संप्रेक्षणों की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर दावे के अवधारण पर विनिश्चय करेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, दावे के अवधारण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को नियम 3 के अधीन अवधारित रकम को संवितरित करेगी।

[फा.सं. 15-9/2014-एनएफएसए]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव